

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 213/2013

वाचपत्र धारा 53 व 128 आर.टी.एक्ट.

श्रीदूलाल पिता कैला सरगडा नि. चान्द्राखेडी तह0 बड़ीसादड़ी

- वादी

॥ बंनम ॥

श्रीलाल उर्फ सोहनलाल पिता कैला जाति सरगडा नि. चान्द्राखेडी तह0 बड़ीसादड़ी
तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

सक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवादा
स हो चुका है। माफिक फर्द बटवाडा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

श्रीला चान्द्राखेडी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- श्रीदूलाल पिता कैला सरगडा नि. चान्द्राखेडी तह0 बड़ीसादड़ी

आ.न.	रकबा	लगान
246/698/मी	0.27	0.54
246/698/1	0.11	0.22
249/1	0.14	2.66
250/701	0.14	2.66
251/702/मी	0.03	0.06
252/1	0.05	0.95
568/1	0.06	0.32
572/1	0.11	0.55
8	0.91	7.96

2- श्रीलाल उर्फ सोहनलाल पिता कैला जाति सरगडा नि. चान्द्राखेडी तह0 बड़ीसादड़ी


आ.न.	रकबा	लगान
247/697	0.24	0.48
246/698/2	0.10	0.20
249/मी	0.14	2.66
250/700	0.17	3.23
251/702/1	0.03	0.06
252/मी	0.05	0.95
568/मी	0.07	0.33
572/1	0.11	0.55
8	0.91	8.46

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आ
1.5.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



Web Copy - Not Official


जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी